न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

अपील संख्याः 33/2023 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2023/43**

1. केशर पत्नी थानाराम जाति जाट निवासी झझु तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2 पाना देवी पत्नी नेमाराम जाति जाट हाल निवासी बज्जू तहसील बज्जू जिला बीकानेर।
3 भागीरथ पुत्र नेमाराम जाति जाट हाल निवासी बज्जू तहसील बज्जू जिला बीकानेर।
4 मैना पुत्री नेमाराम जाति जाट हाल निवासी बज्जू तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

— **अपीलान्ट्स**

बनाम

1 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार कोलायत।
2 ग्राम पंचायत झझू जरिए सरपंच ग्राम पंचायत झझू तहसील कोलायत।
3 ओमप्रकाश पुत्र नेमाराम जाति जाट हाल निवासी बज्जू तहसील बज्जू जिला बीकानेर।
4 सुमन पुत्री नेमाराम जाति जाट हाल निवासी बज्जू तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

— **रेस्पोडेंट्स**

उपस्थितः	श्री सत्यनारायण तिवाड़ी	अभिभाषक अपीलांट
	मोहम्मद इम्तियाज अली	राजकीय अभिभाषक
	श्री चन्द्रशेखर छंगाणी	अभिभाषक रेस्पोडेंट सं. 3, 4

निर्णय

दिनांक 15.04.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर के आदेश दिनांक 23.02.2023 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– विवादित भूमि ग्राम झझु के खसरा संख्या 255 की श्मशान हेतु आवंटित भूमि है। विवादित भूमि के समीप ग्राम झझु के खसरा नंबर 253 व खसरा नंबर 254 में अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 4 की खातेदारी भूमि है। खसरा नंबर 255 रकबा 1.40 हैक्टेयर भूमि को जिला कलक्टर बीकानेर के आदेश दिनांक 23.02.2023 द्वारा किस्म परिवर्तन करते हुए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत सार्वजनिक श्मशाम हेतु आरक्षित करने के आदेश प्रदान कर दिए। अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बीकानेर के अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 23.02.2023 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 4 की आराजी जैर भूमि ग्राम झझु के खसरा नम्बर 253 व खसरा नं. 254 में स्थित है, जिनकी सीमाएं नक्शे में अंकित खसरा नम्बर 255 तक आती हैं। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 4 खसरा नम्बर 255 पर

काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। मौके पर सरसों, ईसबगुल व जीरा की फसल खड़ी है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट्स का कब्जा होने के कारण शमशान भूमि के लिए आरक्षित नहीं की जा सकती थी। अपीलांट काबिज होने के बावजूद आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया गया, ना ही अपीलांट को कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। श्मशान भूमि हेतु 1.00 हैक्टयर भूमि के ही प्रस्ताव भेजे गए थे, लेकिन जिला कलक्टर बीकानेर ने 1.40 हैक्टयर भूमि को आरक्षित कर दिया। जिला कलक्टर बीकानेर खसरा नम्बर 255 की भूमि श्मशान हेतु आरक्षित कर दिया जाने से नक्शे में अंकित खसरा नम्बर 255 की सीमा पर निर्माण करवाया जाए तो अपीलांट्स को अपने खसरा नम्बर 253, 254 में आवागमन के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हो पायेगा। हमेशा श्मशान गांव की आबादी से दूर बनाये जाते हैं। अतः आदेश अपील अपीलांट निरस्त फरमाया जाकर अपील स्वीकार फरमावें।

3— विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि वादगत भूमि रकबा राज दर्ज है एंव जिला कलक्टर बीकानेर ने अपीलाधीन आदेश राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अन्तर्गत जारी किया हैं, जो नियमानुसार प्रक्रिया अपना कर जारी किया गया है, जो उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

4— हमने अपीलाधीन आवंटन आदेश पत्रावली एवं उभय पक्ष की बहस का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। आवंटन आदेश पत्रावली में हल्का पटवारी झझू, तहसीलदार कोलायत एवं उपखण्ड अधिकारी कोलायत की रिपोर्ट के अनुसार श्मशान हेतु आवंटित भूमि ग्राम झझु के खसरा नम्बर 255 रकबा 1.40 हैक्टयर भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा/अतिक्रमण नहीं होना अंकित किया है। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर बीकानेर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.02.2023 में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हैं।

द्वितीयतः अपील में अभिभाषक अपीलांट ने अवगत कराया कि यदि अपीलाधीन आवंटन आदेश दिनांक 23.02.2023 की पालना में विवादित खसरा संख्या 255 की भूमि श्मशान हेतु आरक्षित की जाती है तो अपीलांट्स एवं रेस्पो. सं. 3, 4 को अपने स्वामित्व वाले खसरा सं. 253 व 254 में आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं होगा।

उक्त परिपेक्ष्य में जिला कलक्टर बीकानेर को अपीलांट्स एवं रेस्पो. सं. 3, 4 के स्वामित्व वाले उक्त खसरा नम्बर 253 व 254 में आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं हो तो रास्ते के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित करते हुए अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.02.2023 यथावत रखा जाता है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 15.04.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/4/24

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर